

**कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा)**  
**सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़**

:: आदेश ::

अम्बिकापुर, दिनांक 08/01/2026

क्रमांक/ 4355 /निलंबन/शिकायत/सं.संचा/2025-26 :: जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज का पत्र क्रमांक/118/जि.शि.अधि./प्रतिवेदन/2025-26 रामानुजगंज दिनांक 08.01.2026 के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार श्रीमती ममता गुप्ता, प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खुटहनपारा, विकासखण्ड वाड्डफनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वारा विद्यालय में दिनांक 08.01.2026 को छात्रों के मध्याह्न भोजन के दौरान छात्रों पर सतर्कतापूर्ण निगरानी नहीं रखने के कारण कक्षा 6वीं का एक छात्र निर्माणाधीन आगंनबाड़ी की ओर बाथरूम करने चला गया, जिससे प्रधान पाठक के द्वारा नहीं रोका गया, जिस कारण निर्माणाधीन भवन का छज्जा छात्र के ऊपर गिर जाने के कारण छात्र की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार विद्यालय परिसर में छात्र के मृत्यु के संबंध में प्रधान पाठक श्रीमती ममता गुप्ता के द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने आरोप प्रथम दृष्टया सही पाया गया है।

श्रीमती गुप्ता का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः श्रीमती ममता गुप्ता, प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खुटहनपारा, विकासखण्ड वाड्डफनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप शासकीय सेवा से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

श्रीमती ममता गुप्ता, का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, रामचन्द्रपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में श्रीमती गुप्ता को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

संयुक्त संचालक

शिक्षा सरगुजा संभाग  
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक/ 4356 /निलंबन/शिकायत /सं.संचा/2025-26

अम्बिकापुर, दिनांक 08/01/2026

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्डफनगर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आदेश तामिल कराकर पावती अभिस्वीकृति पश्चात् इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।
6. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रामचन्द्रपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खुटहनपारा, विकासखण्ड वाड्डफनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित श्रीमती ममता गुप्ता, प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खुटहनपारा, विकासखण्ड वाड्डफनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. स्थापना खण्ड-02 प्रभारी कार्यालयीन की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक

शिक्षा सरगुजा संभाग  
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़